



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD

कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद
Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad
दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015
E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

No. CC-1/ABD/HQ/17(2)/SH/11/2020-21 | 390

दिनांक : 26/11/2021

विषय : आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन सरस्वती हॉस्पिटल, शिवालिक सत्यमेव, वकील साहब पुल, अंबली बोपल टी जंक्शन, एस पी रिंग रोड, अहमदाबाद को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में--
(पैन: ADFPA1297D)



Sub.: Approval under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Saraswati Hospital, Near Shivalik Satyamev, Vakil Saheb Bridge, Ambli Bopal T Junction, S P Ring Road, Ahmedabad (PAN: ADFPA1297D) – reg

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन/Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

सरस्वती हॉस्पिटल, शिवालिक सत्यमेव, वकील साहब पुल, अंबली बोपल टी जंक्शन, एस पी रिंग रोड, अहमदाबाद को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules, 1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Saraswati Hospital, Near Shivalik Satyamev, Vakil Saheb Bridge, Ambli Bopal T Junction, S P Ring Road, Ahmedabad

2. तदनुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Rahul (173)

DCIT (Coord.)
26/11/21

अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (प्रशा.)	अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (कार्यिक)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.) (समन्वयन एवं टी.पी.एस.)	अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)



- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- (d) The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

Sd/-

(सतेन्द्र सिंह राणा)

(SATINDER SINGH RANA)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, सरस्वती हॉस्पिटल, शिवालिक सत्यमेव, वकील साहब पुल, अंबली बोपल टी जंक्शन, एस पी रिंग रोड, अहमदाबाद - 380058

The Director, Saraswati Hospital, Near Shivalik Satyamev, Vakil Saheb Bridge, Ambli Bopal T Junction, S P Ring Road, Ahmedabad- 380058

Copy To/प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
- (1) The Secretary, CBDT, New Delhi.
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद ।
- (2) Pr.Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
3. मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद ।
- (3) The CCIT (TDS), Ahmedabad
5. मुख्य आयकर आयुक्त, सुरत / राजकोट ।
- (5) The CCsIT- Rajkot / Surat.
6. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), अहमदाबाद।
- (6) The DGIT (Inv), Ahmedabad
7. प्र. आयकर आयुक्त - 1/3, अहमदाबाद
- (7) Principal Commissioners of Income tax - 1/3, Ahmedabad
8. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गांधीनगर रेंज, गांधीनगर
- (8) The Addl. CIT. Gandhinagar Range, Gandhinagar
9. उप आयकर आयुक्त, गांधीनगर सर्कल, गांधीनगर
10. आयकर अधिकारी, (जनसम्पर्क / कल्याण), अहमदाबाद
11. गार्ड फाईल

रंजीत

(रंजीत एम साह) (Ranjit M Sah)

उप आयकर आयुक्त, (मुख्या.)-1/DCIT(HQ)-1,

कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1/for Chief Commissioner of Income-tax-1, Ahmedabad

